Commissioners' Charges			Rs. 2 lakhs 10 10 lekhs		Rs. 10 lakhs to 25 lakhs		Rs. 25 lakhs to 50 lakhs		Rs. 50 lakhs to 1 crore		Above I crore		
				Ind. HU	Pe	Ind.	HUF:	Ind.	HUF:	Ind.	HUPs	Ind.	HUF
Madhya	Pr	adesh		481	159	29	14	3	I	I	3	I	• •
Andhra	Pri	adesh		772	233	47	8	9	2	3	I	3	
Mysore				729	193	19	11	I					••
Madras				1160	280	35	6	4	5				
Kerala		-		454	96	27	5	3	I			I	••
		TOTAL		18044	2773	921	146	169	29	40	10	22	

निवृत्ति बेतन के मामले

्थी बादीवाला : २६००. े भी क० भे० मालवीय : भी दलबीत सिंह : भी न० म० देव :

क्या विक्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

- (क) सरकारी कर्मचारियों की मेवा निवृत्ति के पश्चात् उनक निवृत्ति बेतन के मामले निबटाने के लिये कितनी भविष नियन की गई है; भौर
- (ख) निबृत्ति वेतन के कितने मामले छ: महीने, एक साल, दो साल प्रयवा पांच माल से प्रधिक समय से विचाराधीन हैं?

षित मंत्री (श्री मोरारणी बेसाई):
(क) इस ह लिये कोई प्रविध निश्चित
नहीं है; पर पेंशन सम्बन्धी धानेदनपत्रों को निबटाने वाले सभी प्रधिकारियों को
इम बात का ध्यान रखने का धादेश दिया
गया है कि जिस श्रफसर को जिस दिन से
पेंशन मिलनी हो उसे वह उसी दिन से
मिलने लगे। यदि किसी खास मामले में
देर लगे बिना काम न हो तो ग्रन्त में जितनी
पेंशन निश्चित होने का श्रनुमान हो उसके
हिसाब से श्रफसर को कुछ रकम दी जाने
लगनी है ताकि उसे कष्ट न हो।

(स) जो मूचना मांगी गई है वह प्राप्त नहीं है। सारे देश में वेन्द्रीय सरकार के जितने दफ्तर है, उनसे यह सूचना प्राप्त करने में जितना समय घौर परिश्रम लगेगा उतना इससे लाभ नहीं होगा।

निवृत्ति बेतन

२६०१. ्री श्री श्रीवीवाला : २६०१. ्रिशे क० भे० मालवीय :

क्या **विक्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कम से कम किनना निवृत्ति वेतन मिल मकता है ;
- (स) क्या यह सच है कि सेवा-निवृत्त भरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले निवृत्ति बेतन की न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है जब कि निवृत्ति बेतन की ग्रधिक-तम सीमा नहीं निश्चित की गई है ; ग्रीर
- (ग) यह मीमा किन मिद्धान्तों पर स्राधारित है [?]

क्स मंत्री (श्री मोरारको देसाई) : (क) कन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कम से कम कितनी पेंशन दी जाये, इसके बारे में कोई निर्धारित नियम नहीं है।

(सा) जी हां।

(ग) यह निर्वारित कर दिया गया है कि पेंशन पाने के लिये पेंशन पाने की योग्यता प्रदान करने वाली अधिक से अधिक कितने वर्षों की सेवा होनी चाहिये और विहित नियम के अनुसार अधिक से अधिक कितनी पेंशन दी आनी चाहिये। 11913

भाषारित हो।

धाधारभूत नियम यह है कि पेंशन की योग्यता प्रदान करने वाली ३० वर्षों की सेवा के बाद कर्मचारी को प्रधिक से प्रधिक पेंशन की जाये धीर यह प्रधिकतम पेंशन कर्मचारी की सेवा के प्रतिम तीन वर्षों में प्राप्त ग्रीसत उपलब्धियों की ग्रीधक से प्रधिक १८०० रुपये मासिक रकम पर

University Grants Commission

2902. Shri S. M. Banerjee: Shri Tangamani:

Will the Minister of Education be pleased to state:

- (a) whether the question of a grant of Rs. 55 lakhs to Allahabad University is under consideration of the University Grants Commission; and
- (b) if so, when a final decision will be taken?

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): (a) No, Sir. In view of the special needs of the Allahabad University, the University Grants Commission have, however, agreed to give a grant of Rs. 10 lakhs to the University for construction of its library building.

(b) Does not arise.

Life Insurance Corporation

2903. Shri Damani: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Life Insurance Corporation of India gets all the shares and securities held by it registered in its own name; and

(b) if so, what is the number of shares out of its total holdings that have been registered in its names?

The Minister of Finance (Shri Morarii Desai): (a) Yes, Sir.

(b) As on the 15th April, 1958, shares numbering 43,54,768, out of 50,74,375, purchased by the Corporation during the period from 1st September, 1956 to 31st December, 1957, have been registered in its name.

Assistants for I.F.S. (B)

2904. Shri Surendranath Dwivedy: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

- (a) the number of permanent Assistants from Central Secretariat Service transferred to the Ministry of External Affairs on the formulation of Grade IV of Indian Foreign Service (B);
- (b) the number of permanent Assistants of Grade IV of Central Secretariat Service and Regular Temporary Establishment who did not opt and those who were not taken in Grade IV of Indian Foreign Service (B); and
- (c) whether this has reduced the number of permanent posts of Assistants in the C.S.S. to be filled by departmental promotion and competitive examinations?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): (a) 91.

(b) The position is as under:-

Permanent R.T.E.
Assistants Assistants

(i) Number of those who applied for appointment to I.F.S. (B) 232 28

(ii) Number of those who were selected 184 14

(iii) Number of those who were not selected 48 14

(iv) Number of those who were selected but who did not eventually opt for I.F.S. (B) 93 3